"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 542] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2014 — कार्तिक 8, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-7/18/2011.—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 सहपठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के अधीन प्रदत्त और भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 23 के अधीन जारी उसकी अधिसूचना क्र. एस.ओ. 152 (ई) नई दिल्ली, दिनांक 10-02-1988 द्वारा राज्य सरकार को प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, एतद्द्वारा, अपेक्षित किये गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, (कक्ष क्र. एस 3-23), मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में, प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

प्रारूप अधिसूचना

यत: प्लास्टिक कैरी बैग, अल्पकालिक और दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान और स्वास्थ्य परिसंकट कारित करते हैं ;

और यत: भारत के संविधान के अनुच्छेद 48-क, अन्य बातों के साथ-साथ, परिकल्पित करता है कि राज्य, पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए प्रयास करेगा ;

और यत: छत्तीसगढ़ शासन की राय है कि प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग, गंभीर क्षति कारित करता है और पर्यावरण एवं मानव के साथ ही पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ;

और यत: यह देखा गया है कि प्लास्टिक कैरी बैग ; गटर, मलनालियों एवं नालियों को भी निरूध्द करते हैं, परिणामस्वरूप गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं होती है ;

और यत: ऐसी समस्या के होने को रोकने की दृष्टि से, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्रों को "प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त क्षेत्र" के रूप में घोषित करने का विनिश्चय किया है ;

अतएव, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 के अधीन प्रदत्त और भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 23 के अधीन जारी उसकी अधिसूचना क्र. एस.ओ. 152 (ई) नई दिल्ली, दिनांक 10-02-1988 द्वारा राज्य सरकार को प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निर्देश देती है कि -

निर्देश

कोई व्यक्ति, जिसमें कोई दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी लगाने वाला या रेहडी वाला आदि सम्मिलित है, माल के प्रदाय के लिए प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करेगा तथा यह और निर्देश देती है कि कोई व्यक्ति, 1 जनवरी, 2015 से छत्तीसगढ़ राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय या परिवहन नहीं करेगा.

स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए शब्द "प्लास्टिक" और "कैरी बैग" का वही अर्थ होगा जैसा कि प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 के अंतर्गत परिभाषित है. खाद्य सामग्री दूध और नर्सरी के उन्नत पौधों की पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त आधान (कन्टेनर्स), कैरी बैग नहीं हैं.

राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह और भी निर्देश देती है कि निम्नलिखित अधिकारी इन निर्देशों को क्रियान्वित करेंगे और भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसकी अधिसूचना क्र. एस. ओ. 394(ई) नई दिल्ली, दिनांक 16-04-1987 द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद प्रस्तुत करेंगे, अर्थात् :-

1. जिला कलेक्टर,
2. वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी,
3. छत्तीसगढ़ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी,
4. राज्य के नगरीय निकायों के आयुक्त/मुख्य नगरपालिक अधिकारी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 5-7/18/2011.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-7/18/2011 दिनांक 30-10-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Raipur, the 30th October 2014

NOTIFICATION

No. F 5-7/18/2011.— The following draft of notification which the State Government proposes to make in exercise of the powers delegated by the Government of India, Ministry of Environment & Forests (Department of Environment, Forests and Wildlife) vide it's Notification No. S.O.152 (E) New Delhi, dated 10-02-1988 issued under Section 23 of the said Act to the State Government and conferred under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (No. 29 of 1986) read with Rule 4 of the Environment (Protection) Rules, 1986, is hereby published as required for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette;

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours by the office of Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Urban Administration and Development (Room No. S 3-23), Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Capital Complex, Naya Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT NOTIFICATION

Whereas, plastic carry bags cause short term and long term environmental damage and health hazard;

And Whereas, Article 48-A of the Constitution of India, inter alia, envisages that the State shall endeavour to protect and improve the environment ;

And whereas, the Government of Chhattisgarh is of the opinion that, the use of plastic carry bags is causing grave injury and is detrimental to the environment and the health of human beings as well as animals;

And whereas, it is observed that the plastic carry bags are also causing blackage of gutters, sewers and drains, resulting in serious environmental problems ;

And whereas, with a view to prevent the occurrence of such problem the State Government has decided to declare the entire areas of the State of Chhattisgarh as "the Plastic Carry Bag Free Area ";

Now, therefore, in exercise of the powers delegated by the Government of India, Ministry of Environment & Forests (Department of Environment, Forests and Wildlife) vide it's Notification No. S. O. 152 (E) New Delhi, dated 10-02-1988 issued under Section 23 of the said Act to the State Government and conferred under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (No. 29 of 1986), the State Government, hereby, directs that,-

DIRECTION

No person including a shopkeeper, vendor, wholesaler or retailer, trader, hawker or rehriwala etc. shall use plastic carry bags for supply of goods, and further directs that no person shall manufacture, store, import, sell or transport plastic carry bags in the State of Chhattisgarh with effect from 1st January, 2015.

Explanation :- For the purpose of this Notification the words "plastic" and "carry bags" shall have the same meaning as defined under the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011. The containers used for packaging food material, milk and raising plants in the nurseries are not carry bags.

The State Government, hereby, further also directs that the following Officers shall implement these directions and file complaints under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 exercising the powers delegated to them by Government of India, Ministry of Environment and Forests, vide its Notification No. S.O. 394 (E) New Delhi, dated 16 - 04 -1987, namely :-

1. District Collector,
2. Officers of the Commercial Tax Department,
3. Regional officers of the Chhattisgarh State Pollution Control Board,
4. All Commissioner/Chief Municipal Officers of urban local bodies of the State.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.